न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 67 / 2024 निर्णय दिनांकः 08-05-2025
(आरसीएमएस संख्या 2024 / 422)

1. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बन्धाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मालूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बन्धाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढिंगसरी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा ढिंगसरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–07–2024
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 18–07–2024 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही बन्धाला के खसरा नम्बर 62 तादादी 10.86 हैक्टेयर में स्थित है। जिस पर अपीलांट आदिनांक तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट की भूमि के पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 63 तादादी 8.70 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 64 तादादी 0.17 हैक्टेयर भूमि का एक तरफा सीमाज्ञान करवा कर एकतरफा तौर पर पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर लिये तथा उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में प्रशासन द्वारा पत्थर लगवा दिये लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना किसी आदेश से तारबंदी कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में 0.60 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा कर लिया जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली का दावा प्रस्तुत किया है उक्त दावे के साथ में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा दौराने दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नाजायज कब्जे की गई भूमि पर काश्त नहीं करने व सीमाएं नहीं हटाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अदालत मातहत द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक तत्वों की विवेचना नही की है। अपीलाधीन अराजी अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिससे प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है एवं यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्षों पुरानी सीमाएं नष्ट कर दी जायेगी तो अपूरणीय क्षति भी अपीलांट को ही कारित होगी। लिहाजा अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु साबित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर वादगत भूमि के मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति दावे के फेसले तक स्थगित रखी जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 63 एवं 64 में स्थित है एवं अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 62 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विधिवत तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्तरगढी करवाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ नयायालय द्वारा दिनांक 24–04–2023 को आदेश पारित करते हुए पत्तरगढी/सीमाज्ञान करवाये जाने का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश प्रदान किया। जिसकी पालना में राजस्व अमले द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया। अपीलांट द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध बेदखली का दावा प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित है कि अपीलाधीन अराजी पर कब्जा अपीलांट का ना होकर रेस्पोडेन्ट का है। स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए वादगत भूमि के मौके का कब्जा होना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है एवं रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध असीमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए विधि द्वारा भी वर्जित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने व उनके कब्जे काश्त में होने का कथन दौराने बहस किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 62 व खसरा नम्बर 63, 64 की सीमाओं को लेकर है। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विरोधाभाषी कथन किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कथन किया गया है कि **"इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त पत्तरगढी आदेश की पालना में प्रशासन द्वारा तारबंदी करवाई गई हो ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष नहीं है। न्यायालय के आदेश द्वारा करवाई गई पत्तरगढी सही है या नहीं है, इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिया जाकर किया जाना है साथ ही पत्थरगढी आदेश का दावा पर क्या प्रभाव है तथा अप्रार्थी द्वारा किया गया कब्जा नाजायज है या जायज है इस बिन्दु का निस्तारण भी साक्ष्य लिया जाकर दावा में किया जाना है।"** जब प्रकरण में सभी बिन्दु दावा में तय किये जाने है ऐसे में उभय पक्षों द्वारा मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी जाती है तो वादगत भूमि का स्वरूप ही परिवर्तन हो जायेगा एवं दावा का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रकरण में दौराने बहस उभय पक्षों द्वारा मौके पर अपना–अपना कब्जा होना कथित किया गया है ऐसे में वादगत भूमि पर यदि मौका की यथास्थिति कायम रखी जाती है तो किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की कोई हानि नही होनी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश पारित किये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रशासन द्वारा पत्रगढी करवायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोडेन्ट के बयानात के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि तारबंदी रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं की गई थी। इस स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी हुई अथवा नहीं यह जांच का विषय है जोकि दावे में तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादगत भूमि के बाबत दावा विचाराधीन है एवं यदि उसके निर्णय से पूर्व अपीलाधीन अराजी की सीमाओं अथवा मौके पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो प्रस्तुत दावे का मकसद समाप्त हो जायेगा एवं प्रकरण में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आने से खारिज योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—07—2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही वादगत भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु वादगत भूमि तहसील नोखा के वाके रोही बन्धाला के खसरा नम्बर 62 तादादी 10.86 हैक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे के निस्तारण तक कायम रखी जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतन)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर